**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 211**
**उत्तर देने की तारीख:18.07.2022**

**अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और अल्पसंख्यक समुदायों को अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति**

**†211. श्री उत्तम कुमार रेड्डी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और अल्पसंख्यक समुदायों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष स्लॉट की संख्या तथा, प्रस्तावित वृत्तिका पात्रता मानदंड और प्रदत्त अध्येतावृत्ति स्लॉट की संख्या का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वर्ष 2017 से अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों हेतु वाचस्पति उपाधि के उपरांत प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति (पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप) को अधिसूचित नहीं किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2022-23 के लिए उपर्युक्त अध्येतावृत्ति को अधिसूचित किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की इन अध्येतावृत्तियों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले स्लॉटों और वृतिका में वृद्धि करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों हेतु इन अध्येतावृत्तिओं के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) को हटाने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ सुभाष सरकार)**

(क) और (ख): सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है। इन अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और अल्पसंख्यक समुदायों का विवरण और स्लॉट्स की संख्या, प्रस्तावित सहायता और पात्रता मानदंड सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

| **क्र. सं.** | **मंत्रालय/ विभाग** | **वेबसाइट का लिंक** |
|---|---|---|
| 1. | उच्चतर शिक्षा विभाग | https://www.education.gov.in/en/pm-usp-scholarships-education-loan |
| 2. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | https://www.ugc.ac.in/page/scholarships-and-fellowships.aspx |
| 3. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes |
| 4. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | https://socialjustice.gov.in/scheme-cat |
| 5. | जनजातीय कार्य मंत्रालय | https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx |
| 6. | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | https://www.minorityaffairs.gov.in/en/schemesperformance/scholarship-schemes |
| 7. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | https://online-inspire.gov.in/ |

(ग) से (च): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उन एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप लागू कर रहा है, जिन्होंने पीएच.डी. की है। यूजीसी ने सूचित किया है कि पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप के तहत अंतिम चयन प्रक्रिया 2017-18 में आयोजित की गई थी और सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप योजना, वर्ष 2022-23 के लिए अधिसूचित की गई है। यूजीसी ने आगे सूचित किया है कि यूजीसी द्वारा दी जाने वाली पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अनिवार्य शर्त नहीं है। डॉक्टरेट फेलोशिप योजनाओं के लिए नेट परीक्षा एक अनिवार्य शर्त है।

***